



संख्या : -नि०(मा०सं०) / उपाकालि / २७का०ए० / ए-४

दिनांक ०६ जुलाई, २०१०

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय :** पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञापक ११११-नि०(मा०सं०) / उपाकालि / अनु.ए०.दि.२३मार्च,२००९.सपटित ज्ञापक ४०४९-नि०(मा०सं०) / उपाकालि / २७का०ए० / ए-४.दि.२३अक्टूबर,२००९.अिसक/अनुरार दिनांक ०१ जुलाई,२००९ से २७ प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमत्य थी, के अनुक्रम एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या २९८/XXVII(७)म०रा०/२००९, दि.१५अक्टूबर,२००९ की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक ०१-०१-२०१० से मंहगाई राहत की एक और किरत ०८ (आठ) प्रतिशत की दर से दिए जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनक ०१-०१-२०१० से पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत की दर बढ़ कर ३५ प्रतिशत हो गई है।

२- मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाएगा ।

३- उपर्युक्तानुसार देय मंहगाई राहत का भुगतान उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के सम्बन्धित पेंशन रण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं.(४४९/०४)/२४८/नौ-३-ऊ०/पेंशन/०२,दि.०९-०३-२००४ की अनुरूपता में सम्बन्धित कोषगारों के माध्यम से किया जाएगा। जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पी०पी०ओ० कोभागारों को प्रेषित किंग जा. टूके हैं उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

४- मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

जगमोहन आल  
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : २५४२ -नि०(मा०सं०) / उपाकालि / २७का०ए० / ए-४, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- निजी सचिव, सचिव(ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सचिवालय, देहरादून ।
- २- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- ३- समस्त निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- ४- कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबन्धक(विधिक) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- ५- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- ६- उप महाप्रबन्धक(मा०सं०) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- ७- उप महाप्रबन्धक(वित्त)के०ले०का० / (वितरण) / आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
- ८- उप महाप्रबन्धक(सूचना प्रौद्योगिकी), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- ९- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, ८४ / १ बसन्त विहार, देहरादून / उत्तरांचल वि०पेंशनर्स कल्याण समिति, हरवर्टपुर ।
- १०- सचिव, केन्द्रीय कमेटी, सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ, उ०बि०क०सं०, १८-ई०सी०रोड, देहरादून ।
- ११- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
- १२- कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल / अतिरिक्त प्रति ।

[संकेत कृष्ण]  
निदेशक(मा०सं०)